

कार्यालय

प्रतिष्ठान: प्राथमिक शिक्षण परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राथमिक शिक्षण परिषद/संख्या/2021/2537

संख्या:- दिनांक: 05/08/2021

संबंधित कार्य:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षण परिषद, नई दिल्ली परतीली (आन्वितिक प्रीमिडिफा) नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 04/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आन्वितिक नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व ही स्थापित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर विचार करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विद्यमान विचारों के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2021-22 हेतु विस्तारित स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्था एवं उच्च शिक्षण प्रदान हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4120-NAND KISHORE COLLEGE OF PHARMACY, DHANUHA, CHAKA, NAINI, PRAYAGRAJ, ALLAHABAD-211008

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	08आईसीटीआई/ पीसीआईओ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था 08आईसीटीआई/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षण परिषद एक्ट 1982 तथा प्राथमिक शिक्षण परिषद विनियमकारी 1982, संशोधित विनियमकारी-2016 तथा अन्य विनियम विधियों एवं अधेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तैयार करीब 01/08/2021 तक प्रेषित करेगी, टी.बी.ए. फार्मों को प्रेषित करने हेतु रु. 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक साथ टी.बी.ए. फार्मों को प्रेषित करने हेतु रु. 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समन्वय-समय पर सारण द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारणपत्र प्रस्तुत होंगे, और तदनुसार

- ✓ कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। बीस निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु बीस का पुनर्गठन किया जाता है, तो बीस की नवीनतम छह सत्र होगी।
- ✓ संस्था को 30000 वार्षिक शिक्षा समितियों तथा 30 समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना। विनियमकरी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित करने को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के लिए 10 जनरल शिफ्ट में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार छह प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्देशन समितियों के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0पी0सी0टी0पी0सी0टी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराये गये विधि/विधान/अधिनियम/आयन/टी0टी0टी0 एवं निर्देशन, वार्षिक शिक्षा, 30000, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30000 तथा वार्षिक शिक्षा परिषद, 30000 द्वारा कराये गये विधान, विनियमों, अटेंशन, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और वार्षिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। वार्षिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, वार्षिक शिक्षा निर्देशन एवं वार्षिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए टापर किया जाता है तथा टापर बंद के संबंध में ज्ञा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु अडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म होने के पूर्व पी0पी0सी0टी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराता होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आगामी संस्था स्वयं पर सीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्देशन नवीनतम अध्याय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चूंकि भूमि, स्टाफ, राज-राजा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला धुन्क, आयुध/सून्क आदि का विवरण उपलब्ध कराता होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त उपकरण उपलब्ध करने के साथ पैरिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को पताचान हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त भूमि-सदन, कक्षाएं, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बद्धता संपन्न किया जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के संपत्ति निर्देशन टीम यदि संस्था में भूमि, जवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य राज-राजा ए0आई0पी0सी0टी0पी0सी0टी0आई0परिषद के तालकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किया जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किया जाने की स्थिति में विधानापूर्वक

संस्थापक-सचिव, ए.पी.पी.

(स्वीकृत चरित्र प्रमाण)

बतौर

पुस्तक सत्यापन संख्या 2021-2538-4809

दिनांक: 09/08/2021

ए.पी.पी.

स्थान: ए.पी.पी. NAND KISHORE COLLEGE OF
PHARMACY, DHANURA, CHAKA, NAINI, PRAYAGRAJ, ALLAHABAD-211008

(मुनीम कुमार शंकर)

बतौर

